



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228586
CG-DL-E-30072021-228586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2797]
No. 2797]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SRAVANA 7, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 3017(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2827(अ) तारीख 14 अगस्त 2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 20 अगस्त 2020 तथा का. आ. 720(अ) तारीख 16 फरवरी 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 17 फरवरी 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी. के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 17 सितंबर 2020 तथा 17 मार्च 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : गुंतकल		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	१. गुंतकल	१. अय्यावारीपल्ली	209/C	00	02
2			224/A	00	03
3			223	00	01
4			231/A	00	17
5			82/B	00	30
6			82/A	00	05
7			73	00	34

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 3017(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.2827(E) dated the 14th August 2020 and S.O.No.720(E) dated the 16th February 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 20th August 2020 and 17th February 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 17 September 2020 and 17 March 2021.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Guntakal		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1.Guntakal	1.Ayyavaripalle	209/C	00	02
2			224/A	00	03
3			223	00	01
4			231/A	00	17
5			82/B	00	30
6			82/A	00	05
7			73	00	34

[F. No. F.No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 3018(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2827(अ) तारीख 14 अगस्त 2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 20 अगस्त 2020 तथा का. आ. 721(अ) तारीख 16 फरवरी 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 17 फरवरी 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक

एल.पी.जी. के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 17 सितंबर 2020 तथा 17 मार्च 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : कुंदुर्पि		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	एकड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुंदुर्पि	१. निजावल्ली	151/2	00	02
2			121/3E	00	02
3			133/2	00	04
4			132/3	00	07
5			132/7	00	04
6	कुंदुर्पि	२. कुंदुर्पि	316/6	00	04
7			315/5	00	08
8			314/3	00	14
9			314/7	00	16
10			314/8	00	04
11			508/2	00	37
12			508/1	00	41
13			507/2	00	31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14			507/1	00	01
15			509/1(कच्चा रास्ता)	00	05
16			509/3	00	24
17			509/2	00	29
18			505/5	00	46
19			505/4	00	23
20			505/3	00	18
21			505/2	00	12
22			511/2	00	65
23			511/3	00	27
24	कुंदुर्षि	२. कुंदुर्षि	511/1(कच्चा रास्ता)	00	03
25			472/2	00	23
26			472/1	01	02
27			346/7	00	02
28			346/6	00	03
29			419/3	00	09
30			417/2	00	07
31			470	01	45
32	कुंदुर्षि	3. एपिलेपल्ली	330/3	00	81
33			329/3	00	39
34			217	00	34
35			216/1	00	60
36			215/3	00	42
37			215/1	00	24
38			214/3	00	16
39			214/1	00	39
40			213/3	00	26
41			213/2	00	30
42			213/1	00	20
43			356/2	00	25
44			356/1	00	72
45			357/2	00	28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46			358/1	00	65
47			348/1	00	36
48			348/2	00	84
49			349/2	00	18
50			351/1	00	50
51	कुंदुर्पि	४.बेसतरपल्ली	6/1	00	08
52			5/2	00	14
53			4/1	00	01
54			4/2	00	25
55			264/4	00	45
56			264/2	00	59
57			265/1	00	08
58			260/2	00	56
59			260/1	00	50
60			257/2	00	13
61			261/2	00	64
62			261/1	00	35
63			262	00	35
64	कुंदुर्पि	५.कारीगन्नापल्ली	48/3	00	03
65			48/2	00	02
66			51/6	00	02
67			51/2	00	05
68			51/4A	00	06
69			203	00	24
70			205	00	02
71			53	00	08
72			200	00	01
73			371	00	03
74			161	00	07
75			380	00	04
76			160/1	00	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77			163/4	00	03
78			163/1	00	03
79			178/1	00	14
80			179	00	01
81			110/3	00	01
82			313/5	00	07
83			311	00	93
84			310/1	00	05
85			310/2	00	48
86			310	00	03
87			309/8	00	60
88			309/7	00	02
89			107/184	00	15
90	कुंदुर्पि	६.एस.मल्लापुरम	27/3	00	01
91			27/1	00	20
92	कुंदुर्पि	७.एनूमल्लादोडी	436/1A	00	16
93			436/2	00	64
94			437/1A	00	22
95			430/1	00	60
96			430/2	00	47
97			429/3	00	44
98			429/1	00	03
99			168/1A1	00	41
100			168/1A2	00	03
101			180	00	19
102			286/2	00	15
103			285/1	00	97
104			296/2	00	85
105			297/1	00	66
106			298/3	00	50
107			298/1	00	27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
108			298/2	00	42
109			292/2	00	42
110			292/1	00	65
111			291/2	00	56

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 3018(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.2827(E) dated 14th August 2020 and 721(E) dated the 16th February 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 20th August 2020 and 17th February 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 17 September 2020 and 17 March 2021.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Kundurpi		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kundurpi	1.Nijavali	151/2	00	02
2			121/3E	00	02
3			133/2	00	04
4			132/3	00	07
5			132/7	00	04
6	Kundurpi	2.Kundurpi	316/6	00	04
7			315/5	00	08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8			314/3	00	14
9			314/7	00	16
10			314/8	00	04
11			508/2	00	37
12			508/1	00	41
13			507/2	00	31
14			507/1	00	01
15			509/1(Cart track)	00	05
16			509/3	00	24
17			509/2	00	29
18			505/5	00	46
19			505/4	00	23
20			505/3	00	18
21			505/2	00	12
22			511/2	00	65
23	Kundurpi	2.Kundurpi	511/3	00	27
24			511/1(Cart track)	00	03
25			472/2	00	23
26			472/1	01	02
27			346/7	00	02
28			346/6	00	03
29			419/3	00	09
30			417/2	00	07
31			470	01	45
32	Kundurpi	3.Apilepalle	330/3	00	81
33			329/3	00	39
34			217	00	34
35			216/1	00	60
36			215/3	00	42
37			215/1	00	24
38			214/3	00	16
39			214/1	00	39
40			213/3	00	26
41			213/2	00	30
42			213/1	00	20
43			356/2	00	25
44			356/1	00	72
45			357/2	00	28
46			358/1	00	65
47			348/1	00	36
48			348/2	00	84
49			349/2	00	18
50			351/1	00	50
51	Kundurpi	4.Bestarapalli	6/1	00	08
52			5/2	00	14
53			4/1	00	01
54			4/2	00	25
55			264/4	00	45
56			264/2	00	59
57			265/1	00	08
58			260/2	00	56
59			260/1	00	50
60			257/2	00	13
61			261/2	00	64
62			261/1	00	35
63			262	00	35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64	Kundurpi	5.Kariganapalli	48/3	00	03
65			48/2	00	02
66			51/6	00	02
67			51/2	00	05
68			51/4A	00	06
69			203	00	24
70			205	00	02
71			53	00	08
72			200	00	01
73			371	00	03
74			161	00	07
75			380	00	04
76			160/1	00	10
77			163/4	00	03
78			163/1	00	03
79			178/1	00	14
80			179	00	01
81			110/3	00	01
82			313/5	00	07
83			311	00	93
84			310/1	00	05
85			310/2	00	48
86			310	00	03
87			309/8	00	60
88			309/7	00	02
89			107/184	00	15
90	Kundurpi	6.S.Mallapuram	27/3	00	01
91			27/1	00	20
92	Kundurpi	7.Eenumuladoddi	436/1A	00	16
93			436/2	00	64
94			437/1A	00	22
95			430/1	00	60
96			430/2	00	47
97			429/3	00	44
98			429/1	00	03
99			168/1A1	00	41
100			168/1A2	00	03
101			180	00	19
102			286/2	00	15
103			285/1	00	97
104			296/2	00	85
105			297/1	00	66
106			298/3	00	50
107			298/1	00	27
108			298/2	00	42
109			292/2	00	42
110			292/1	00	65
111			291/2	00	56

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 3019(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 722(अ) तारीख 16 फरवरी 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 17 फरवरी 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 17 मार्च 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल: तुगगली		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	१. तुगगली	१. कंदमकुंतला	711	00	02
2			706	00	01
3			647	00	02
4			651/2	00	04
5			594	00	01
6			558	00	64
7			564	00	02
8			747	00	06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंडल : प्यापुली		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
1	२. प्यापुली	१. कालाचेतला	82(नाला)	00	05
2			79	00	03
3			73	00	03
4			62(नाला)	00	11
5			68/1	00	02
6	२. प्यापुली	२. एस.रंगापुरम	52/2	00	06
7			14/3	00	09
8			11	00	09
9	२. प्यापुली	३. पेद्दापोदीला	621/4	00	01
10			629	00	01
11			210	00	02
12			114	00	10
मंडल : धोन		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
1	३. धोन	१. कोथाबुरुजु-२२	83	00	08
2			86	00	03
3			139	00	02
4			151	00	04
5	३. धोन	२. एस.गुंडाला	145/2	00	03
6			146/2	00	05
7			147/2	00	01
8			149/3	00	01
9			54(पक्का रास्ता)	00	02
10			53	00	14
11			46/4	00	02
12			76/3	00	08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	३. धोन	३ एदुपेटा	85	00	02
14			124	00	02
15			186(कच्चा रास्ता)	00	05
16			222/2B1	00	03
17			222/1	00	01
18			770	00	03
19			769	00	04
20			839	00	03
21			845/2	00	10
22			845/3	00	38
23			848	00	02
24			890	00	02
25	३. धोन	४. यप्पादिन्ने	924D	00	05
26			927	00	03

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवसर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 3019(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.722(E) dated the 16th February 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 17th February 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 17 March 2021.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline

SCHEDULE

Mandal: Tuggali		Dist: Kurnool		State: Andhra Pradesh	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1.Tuggali	1. Kandamakuntla	711	00	02
2			706	00	01
3			647	00	02
4			651/2	00	04
5			594	00	01
6			558	00	64
7			564	00	02
8			747	00	06
Mandal: Peapully		Dist: Kurnool		State: Andhra Pradesh	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
1	2. Peapully	1. Kalachetla	82(Nala)	00	05
2			79	00	03
3			73	00	03
4			62(Nala)	00	11
5			68/1	00	02
6	2. Peapully	2. S. Rangapuram	52/2	00	06
7			14/3	00	09
8			11	00	09
9	2. Peapully	3. Pedapodilla	621/4	00	01
10			629	00	01
11			210	00	02
12			114	00	10
Mandal: Dhone		Dist: Kurnool		State: Andhra Pradesh	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
1	3.Dhone	1. Kotha Buruju	83	00	08
2			86	00	03
3			139	00	02
4			151	00	04
5	3.Dhone	2. S. Gundala	145/2	00	03
6			146/2	00	05
7			147/2	00	01
8			149/3	00	01
9			54(Road)	00	02
10			53	00	14
11			46/4	00	02
12			76/3	00	08
13	3.Dhone	3. Eddupenta	85	00	02
14			124	00	02
15			186(Cart Track)	00	05
16			222/2B1	00	03
17			222/1	00	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18			770	00	03
19	3.Dhone	3. Eddupenta	769	00	04
20			839	00	03
21			845/2	00	10
22			845/3	00	38
23			848	00	02
24			890	00	02
25	3.Dhone	4. Yapadinne	924/D	00	05
26			927	00	03

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.